भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5649

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी

5649. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ;

(ग) क्या न्यायाधीशों की कमी के कारण न्यायालयों में लंबित मामलों में वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समस्या के समाधान के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का बिहार में महिलाओं के लिए विधि महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 द्वारा शासित होती हैं। एमओपी के अनुसार, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव की शुरुआत संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के पास होती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को रिक्ति होने से छह महीने पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिक्ति को भरने के प्रस्ताव को आरंभ करना आवश्यक है। उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए सभी नाम सरकार के विचारों के साथ उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को सलाह के लिए भेजे जाते हैं। केवल वे व्यक्ति, जिनको एससीसी द्वारा सिफारिश किया जाता है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। 01.04.2025 तक, उच्च न्यायालयों में 1122 न्यायाधीशों की स्वीकृत पदों के मुकाबले 766 न्यायाधीश काम कर रहे हैं। उच्च न्यायालय कॉलेजियम से 216 रिक्तियों के लिए सिफारिशें अभी प्राप्त होनी शेष हैं। मई 2014 से 04.02.2025 तक उच्चतम न्यायालय में 67 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं और विभिन्न उच्च न्यायालयों में 1034 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के अनुसार जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्तियाँ राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। भर्ती प्रक्रिया राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालयों के परामर्श से बनाए गए

नियमों द्वारा शासित होती है, जो मलिक मज़हर सुल्तान मामले में जनवरी 2007 के आदेश के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा का पालन करती है ।

न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि का एकमात्र कारण न्यायाधीशों की रिक्तियां नहीं हैं। न्यायालयों में लंबित मामलों के कई कारण हैं, जिनमें भौतिक अवसंरचना और सहायक न्यायालय कर्मचारियों की उपलब्धता, शामिल तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों जैसे बार, अन्वेषण एजेंसियों, गवाहों और मुवक्किलों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग शामिल हैं। मामलों के निपटान में देरी करने वाले अन्य कारकों में विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए संबंधित न्यायालयों द्वारा विहित समय सीमा का अभाव, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों की निगरानी, ट्रैक और समूहीकरण के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव शामिल है।

(ङ.) : अधिवक्ता अधिनियम, 1961 भारत में विधिक शिक्षा और वकीलों के मानकों को निर्धारित करने के लिए सुसंगत विधि है और यह बीसीआई को विश्वविद्यालयों को मान्यता देने और विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त करने पर विधिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से महाविद्यालयों/विधिक शिक्षा केंद्रों को मंजूरी देने की शक्ति प्रदान करता है। विधि विश्वविद्यालयों/निजी विधि महाविद्यालयों की स्थापना संबंधित राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित अधिनियमों के अधीन की गई है। बिहार में महिलाओं के लिए विधि महाविद्यालय खोलने के संबंध में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

******